डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 68] रायपुर, बुधवार , दिनांक 25 अप्रैल 2001—बैशाख 5, शक 1923

रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें
छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2001

अधिसूचना

क्रमांक 293/2000.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, अर्थात् :—

(1) (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलीकरण आदेश 2000 है.

(दो) यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा.

(2) इस आदेश की सूची में विनिर्दिष्ट, समय-समय पर, यथा संशोधित ऐसे नियम जो छत्तीसगढ़ की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद्द्वारा, तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुये समस्त नियमों में ''मध्यप्रदेश'' के स्थान पर जहां कहीं भी वे आयें हों शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किया जाए.

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियमों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932.
2.	भारतीय भागीदारी (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 34 सन् 1998).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, उप-सचिव.

Raipur, the 25th April, 2001

NOTIFICATION

No. 293/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government hereby makes the following order, namely :—

ORDER

1. (1) This order may be called the Adaptation of Laws Order, 2000.

   (2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The rule as amended from time to time, specified in the Schedule to this Order, which are in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modifications that in all the rule for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of Laws (2)
1.	The Indian Partnership Act, 1932.
2.	Indian Partnership (Madhya Pradesh Amendment) Act, 1998 (No. 34 of 1998).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
S. K. BEHAR, Dy. Secretary.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2001

अधिसूचना

क्रमांक 293/2000.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुयें राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, अर्थात् :—

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलीकरण आदेश 2000 है.

   (दो) यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा.

2. इस आदेश की सूची में विनिर्दिष्ट, समय-समय पर, यथा संशोधित ऐसे नियम जो छत्तीसगढ़ की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद्द्वारा, तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुये समस्त नियमों में "मध्यप्रदेश" के स्थान पर जहां कहीं भी वे आयें हों शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किया जाए.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियमों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973).
2.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की अशासकीय शिक्षण संस्था अधिनियम, 1978 (क्र. 20 सन् 1978) के संबंध में.
3.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1998.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, उप-सचिव.

Raipur, the 25th April, 2001

NOTIFICATION

No. 293/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government hereby makes the following order, namely :—

ORDERS

1. (1) This Order may be called the Adaptation of Laws Order, 2000.

   (2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The rule as amended from time to time, specified in the Schedule to this Order, which are in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modifications that in all the rule for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the Laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of Laws (2)
1.	The Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).
2.	Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam.1973 in respect of Ashaskiya Shikshan Sanstha (No. 20 of 1978).
3.	Madhya Pradesh Society Registrikaran Niyam. 1998.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
S. K. BEHAR, Dy. Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.